

अध्याय-IV

इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

4.1 दोषपूर्ण उपस्कर की अधिप्राप्ति पर ₹2.43 करोड़ का निष्क्रिय निवेश

मानकीकरण, परीक्षण व गुणता प्रमाणपत्र (एस टी क्यू सी) निदेशालय द्वारा दोषपूर्ण उपस्कर बदलने हेतु पूर्तिकार पर संविदात्मक दायित्व लागू न कर पाने की विफलता से उपस्कर चालू नहीं हो पाये व ₹2.43 करोड़ का निष्क्रिय निवेश हुआ। इसके अतिरिक्त तीन इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण प्रयोगशालायें, जिनके लिये उपस्कर की अधिप्राप्ति की गई थी उद्योगों को विशेष परीक्षण सेवायें नहीं दे सके।

मानकीकरण, परीक्षण व गुणता प्रमाणपत्र (एस टी क्यू सी) निदेशालय,¹ इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रीय जांच प्रयोगशाला (ई आर टी एल) तथा इलेक्ट्रानिक जांच व विकास केन्द्र (ई टी डी सी) के देशव्यापी नेटवर्क द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में गुणता आश्वासन सेवायें प्रदान करता है। जांच, योग्यता प्रशिक्षण व प्रमाणन सहित सेवायें सार्वजनिक व निजी संगठनों के लिये दी जाती है।

प्रयोगशालाओं के संवर्धन के लिये, एस टी क्यू सी प्रत्येक प्रयोगशाला से विभिन्न उपस्करों के लिये आवश्यकताओं का पता लगाती है तथा एस टी क्यू सी खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ₹50 लाख से अधिक लागत वाले मुख्य उपस्कर क्रय करती है। संवर्धन की इस प्रकार की एक प्रक्रिया में, एस टी क्यू सी ने ई आर टी एल मुम्बई, ई टी डी सी बंगलोर व हैदराबाद से “तीन फेस शक्ति/ऊर्जा व्यासमापन प्रणाली” के लिये प्राप्त आवश्यकता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुये मैसर्स रोटेक इन्सट्रूमेंट्स कोरपोरेशन, यू एस ए को क्रय आदेश दिये।

क्रय प्रस्ताव

ई टी आर एल मुम्बई ने 2005-06 में एक नई शक्ति/ऊर्जा व्यासमापन प्रणाली क्रय करने का प्रस्ताव किया था तथा एस टी क्यू सी निदेशालय को मांग प्रस्तुत की थी। प्रयोगशाला द्वारा उपस्कर का विनिर्देशन में अन्य चीजों के साथ यह दर्शाया था कि प्रत्येक संदर्भ मीटर, वाट मीटर, फेज एंगल मीटर आदि की हस्तचालित व स्वचालित प्रचालन क्षमता जो व्यासमापिन के लिये सक्षम हो। उसी प्रकार, ई टी डी सी बैंगलोर व हैदराबाद ने 2005-06 में एक नयी तीन फेस ऊर्जा व्यासमापित प्रणाली के क्रय करने हेतु मांग दी थी।

¹ यह एक भारत सरकार के सूचना तथा प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़ा हुआ एक कार्यालय है।

निविदा प्रक्रिया अपनाने में खामियाँ

ई आर टी एल मुम्बई के लिये उपस्कर अधिप्राप्त करने के उद्देश्य से, मुम्बई एस टी क्यू सी ने दिसम्बर 2005 में खुली निविदा आमंत्रित की, जिसके प्रत्युत्तर में मैसर्स माइक्रोटेक इन्स्ट्रूमेन्ट्स, चेन्नई से केवल एक निविदा प्राप्त हुई थी जोकि मैसर्स रोटेक इन्स्ट्रूमेन्ट्स कारपोरेशन, यू एस ए के लिये प्रधान भारतीय एजेन्ट था। तकनीकी समिति ने प्राप्त की गई एकल निविदा का मूल्यांकन तथा निपटान किया था। उसी प्रकार, एस टी क्यू सी ने जून 2006 में ई टी डी सी बंगलोर व हैदराबाद में प्रत्येक के लिये वैसा ही उपस्कर अधिप्राप्त करने के लिये खुली निविदा आमंत्रित की थी, जिसके प्रत्युत्तर में क्रमशः केवल दो/तीन बोली प्राप्त की गई थी। बोली का मूल्यांकन करने पर, तकनीकी समिति ने तकनीकी रूप से उपयुक्त मैसर्स रोटेक इन्स्ट्रूमेन्ट्स कारपोरेशन के प्रधान की ओर से मैसर्स माइक्रोटेक इन्स्ट्र॔मेन्ट्स से प्राप्त केवल एक बोली का चयन किया था। यह तथ्य यह दर्शाता है कि सभी तीन प्रकरणों में उसी या एक ही विक्रेता अर्थात् मैसर्स रोटेक इन्स्ट्र॔मेन्ट्स कारपोरेशन यू एस ए से उपस्कर अधिप्राप्त किया गया था, इससे प्रतिस्पर्धा समाप्त हुई तथा उपस्कर के चुनाव में रूचि या पसंद पर रोक लगी।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2013) कि ई टी डी सी गुवाहटी के लिये उसी प्रकार के उपस्कर की अधिप्राप्ति हेतु एक पूर्ववर्ती निविदा में, मैसर्स रोटेक व मैसर्स जेरा ने भाग लिया था तथा जेरा के उपस्कर ने तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया था। इसलिये, पूर्ववर्ती अनुभव के आधार पर यह मान लिया गया था कि अन्य पूर्तिकार निविदा में भाग नहीं ले सकते थे क्योंकि मुम्बई के लिये वही उपस्कर था। आगे तत्कालिक प्रकरण में निविदा में भागीदारी विश्व निविदा के माध्यम से की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एस टी क्यू सी ने पुनः निविदा देने के विकल्प की जांच किये बिना मैसर्स रोटेक से एक बोली को अंतिम रूप दे दिया था। इसके अतिरिक्त, मैसर्स रोटेक से अधिप्राप्त उपस्कर को प्रतिष्ठापित करने व चालू करने के उद्देश्य से, ई आर टी एल (डब्ल्यू) द्वारा समर्पित पावर पैनल व रैक एनक्लोजर सीधे क्रय किये गये थे जोकि विश्व निविदा की परिधि से बाहर था। अतः सारे क्रय को विश्व निविदा की अधिप्राप्ति के रूप में परिभाषित भी नहीं किया जा सकता है।

क्रय आदेशों के निबन्धनों व शर्तों का गैर क्रियान्वयन

मैसर्स रोटेक इन्स्ट्र॔मेन्ट्स कारपोरेशन को मार्च 2006 व सितम्बर 2006 के मध्य तीन क्रय आदेश ₹2.43 करोड़² की कुल लागत पर दिये गये थे।

क्रय आदेशों के निबन्धन व शर्तें निम्नलिखित थीं:

- समान का निरीक्षण किया जायेगा तथा इसकी अस्वीकृति पर, पूर्तिकार बिना किसी लागत के उपस्कर बदल देगा।

² मूल्य का व्यौरा: ई आर टी एल मुम्बई ₹86.68 लाख, ई टी डी सी बंगलोर ₹94.94 लाख तथा ई टी डी सी हैदराबाद ₹61.70 लाख

- आपूर्त उपस्कर प्रयोगशाला परिसरों में प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर प्रतिष्ठापित किया जाना व चालू किया जाना चाहिये।
- शिपमेंट/संतोषजनक प्रतिष्ठापन की तारीख से दो वर्षों की वारंटी अवधि के दौरान पूर्तिकार से अपेक्षा की गई थी कि वह सुधार या प्रतिस्थापन द्वारा विलम्ब किये बिना किसी भी दोष को दूर कर देगा।
- बिक्री सेवा के बाद संतोषजनक व्यवस्था करने में विफलता से निष्पादन बैंक गारंटी (नि बैंगा) (उपस्कर की लागत का 10 प्रतिशत) जब्त की जायेगी।

ई आर टी एल, मुम्बई प्रकरण में, क्रय आदेश 90 प्रतिशत भुगतान के लिये दिया तथा अन्य दो प्रकरणों में, शिपमेंट व शिपिंग दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर अपरिवर्तनीय साख—पत्र द्वारा 100 प्रतिशत भुगतान की व्यवस्था की थी।

हमने देखा कि संविदा ने क्रेता के हितों की रक्षा नहीं की थी क्योंकि केवल 10 प्रतिशत नि बैंगा को छोड़कर उपस्कर के संतोषजनक प्रतिष्ठापन और चालू करने तक लागत के कुछ भाग को रोके रखने के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी। इ आर टी एल, मुम्बई के सम्बन्ध में सफलतापूर्वक प्रतिष्ठापन व चालू किये जाने का प्रमाणपत्र जारी करने के कारण 10 प्रतिशत नि बैंगा का भुगतान किया गया यद्यपि उपस्कर चालू नहीं किया गया था।

प्रणालियों का गैर प्रतिष्ठापन व चालू न किया जाना

प्रयोगशालाओं में उपस्कर नवम्बर 2006 से जून 2007 के बीच प्राप्त हुये थे और मैसर्स रोटेक के इंजीनियरों ने शुरू में तीन प्रयोगशालाओं में प्रतिष्ठापन का कार्य मार्च 2007 से जून 2007 की अवधि में किया था। उपस्कर प्रतिष्ठापित किया गया था लेकिन विभिन्न समस्याओं जैसे गायब केबिल, सॉफ्टवेयर में स्वाभाविक समस्यायें, सॉफ्टवेयर संचालित इंटरफेस व हार्डवेयर इत्यादि के कारण चालू नहीं किया जा सका था। यद्यपि केन्द्र उपस्कर का उपयोग नहीं कर पाये, फिर भी उनको रद्द नहीं किया। इ टी डी सी बंगलोर व हैदराबाद दोनों ने केवल अगस्त 2009 में अर्थात् दोषपूर्ण उपस्कर की प्राप्ति के दो वर्ष बीतने के बाद दोषपूर्ण प्रणाली के प्रतिस्थापन की मांग की थी। इ आर टी एल मुम्बई ने प्रतिस्थापन की मांग नहीं की थी। पूर्तिकार बंगलोर प्रकरण में आंशिक प्रतिस्थापन³ और हैदराबाद प्रकरण में उपस्कर की मरम्मत के लिये सहमत हो गया था।

जुलाई 2010 में, एस टी क्यू सी ने अंतिम नोटिस जारी किया था और पूर्तिकार को अंतिम अवसर प्रदान किया था कि वह अगस्त 2010 तक नवीनतम प्रणाली प्रतिष्ठापित करे अन्यथा सारी लागत व नुकसान की वसूली के लिये कार्यवाही शुरू की जाएगी। तथापि, हमने देखा कि एस टी क्यू सी द्वारा पूर्तिकार के विरुद्ध इस प्रकार की कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी यद्यपि पूर्तिकार ने

³ सक्रिय घटकों का प्रतिस्थापन

बैठक में अगस्त 2010 की समय—सीमा में चूक की थी। इसके अतिरिक्त, जवाबदेही के कारण नि बैं गा जिसे जब्त किया जाना था, इसे दिसम्बर 2011 तक विस्तार दे दिया था। आज तक उपस्कर न तो बदला गया था और न ही मरम्मत की गई थी।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2013) कि मुम्बई में उपस्कर के प्रतिस्थापन की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उपस्कर प्रचालन मे थे। ई टी डी सी बंगलोर व हैदराबाद प्रकरण में, यह कहा गया था कि इस प्रकार के उच्च सूक्ष्मता व जटिलता वाले उपस्कर सामान्यतः रथल पर अच्छे तालमेल की शर्त पर प्रतिष्ठापित होते हैं। ये अत्याधुनिक उपस्कर भी लगाओ और चालू हो गये (प्लग एण्ड प्ले) टाइप के नहीं थे और इसीलिये पूर्णरूप से अस्वीकृति सम्भव नहीं थी।

उत्तर ठीक नहीं है क्योंकि मुम्बई में उपस्कर ने ठीक ढंग से कार्य नहीं किया था। इसके अतिरिक्त ई टी डी सी बंगलोर व हैदराबाद आपूर्ति आदेशों के निबन्धन व शर्तों के अनुसार दोषपूर्ण उपस्कर को अस्वीकृत करने में विफल रहे। एस टी क्यू सी ने भी प्रभावपूर्ण तरीके से मामले का अनुसरण नहीं किया तथा पूर्तिकार पर संविदात्मक दायित्वों के लिये दबाव नहीं डाला। यद्यपि नि बैं गा जिसको जब्त किया जाना था, जब्त भी नहीं की गई थी। पांच वर्ष से अधिक समय के लिये उपस्कर प्रतिष्ठापित करने व चालू करने में पूर्तिकार की विफलता के बावजूद भी लागत व नुकसान की वसूली के लिये पूर्तिकार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

हमने देखा कि पांच वर्षों के विलम्ब के बाद ही एस टी क्यू सी ने ₹15 लाख के नि बैं गा भुनाने के बाद ई टी डी सी बंगलोर व हैदराबाद के लिये दो उपस्करों के लिये संविदा रद्द की और ₹2.72⁴ करोड़ (उपस्कर की लागत व उस पर ब्याज) तथा ₹1.73 करोड़ (दण्डस्वरूप व्यावसायिक व साख की हानि, भुगतान किये गये भाड़े व बीमा) की वसूली के लिये दावा किया था।

मंत्रालय ने भी उत्तर दिया (फरवरी 2013) कि संविदा के भाग के रूप में 100 प्रतिशत भुगतान के सम्बन्ध में निबन्धन व शर्तों में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन था। यह भी कहा गया था कि वरिष्ठ निदेशक, ई आर टी एल (डब्ल्यू) द्वारा सफल प्रतिष्ठापन प्रमाणपत्र जारी किया गया था यद्यपि कुछ विसंगतियां देखी गई थी, जिसने प्रणाली के प्रचालन/कार्यात्मकता में बाधा नहीं डाली होगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपस्कर के प्रेषण पर 100 प्रतिशत भुगतान से एस टी क्यू सी के हितों की रक्षा नहीं हुई थी। हमने यह भी देखा कि शिपमेन्ट में साखपत्र के माध्यम से 90 प्रतिशत व उपस्कर के प्रतिष्ठापन के बाद शेष 10 प्रतिशत के भुगतान की पूर्ववर्ती प्रथा को बैंक प्रभारों पर व्यय कम करने हेतु साख पत्र द्वारा 100 प्रतिशत भुगतान में परिवर्तित कर दिया गया था। प्रथा के इस परिवर्तन ने उपस्कर को सही तरीके से प्रतिष्ठापित करवाने में एस टी क्यू सी के हितों की रक्षा नहीं की है। इसके अतिरिक्त निदेशक, ई आर टी एल (डब्ल्यू) ने मार्च 2007 में प्रतिष्ठापन व चालू किये जाने का प्रमाणपत्र जारी किया था, जबकि अगस्त 2007 में संयुक्त निदेशक, (मानक व

⁴ ₹5,44,302 50 (लगभग) ₹2.72 करोड़

व्यासमापन) ई आर टी एल (डब्ल्यू) ने उपस्कर के दोषपूर्ण वस्तुओं को बदलने के लिये मैसर्स रोटेक के एजेन्ट से कहा था। संयुक्त निदेशक ने यह भी बताया कि पूर्ण प्रणाली तब तक निष्क्रिय रहेगी जबतक कि दोषपूर्ण वस्तुएँ बदली नहीं जाती हैं। यह दर्शाता है कि उपस्कर के लिये भुगतान उपस्कर के उचित तरीके से चालू किये जाने को सुनिश्चित किये बिना किया गया था। इसके अतिरिक्त दो वर्षों के बाद कलपुर्जे में सुधार किया गया था फिर भी उपस्कर गैर कार्यात्मक रहे, इससे मशीनों को क्रय किये जाने का उद्देश्य विफल रहा।

इस प्रकार एस टी क्यू सी दोषपूर्ण उपस्कर बदलने के लिये पूर्तिकार पर संविदात्मक दायित्वों का दबाव डालने में विफल रहा जिससे उपस्कर चालू नहीं हुये तथा ₹2.43 करोड़ का निष्क्रिय निवेश हुआ। इसके अतिरिक्त, दोषपूर्ण उपस्कर के कारण इन प्रयोगशालाओं/केन्द्रों द्वारा जहां व्यासमापन का कार्य हुआ था कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ।

4.2 व्यावहारिक माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान के लिये सोयायटी (समीर) में परियोजना प्रबंधन

4.2.1 प्रस्तावना

व्यावहारिक सूक्ष्मतरंग इलेक्ट्रानिक अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान सोयायटी “समीर” एक स्वायत्त संस्था है जिसे 1984 में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सूक्ष्मतरंग अभियांत्रिकी एवं विद्युत चुम्बकीय अभियांत्रिकी तकनीक के क्षेत्रों में विकास एवं अनुसंधान को बढ़ाने हेतु बनाया गया।

समीर का लक्ष्य सूक्ष्मतरंग/रेडियो आवृत्ति इलेक्ट्रानिक एवं विद्युत चुम्बकीय के क्षेत्रों में अनुप्रयोग अभियुक्त अनुसंधान में उत्कृष्टता (श्रेष्ठता) हासिल करना है। इसका मुख्य उद्देश्य विकास एवं अनुसंधान गतिविधियों को करना एवं उत्पाद विकास में संलग्न रहना तथा परीक्षण एवं मापक सेवाओं को प्रदान करना है। ये विकास एवं अनुसंधान क्रियाएँ समीर द्वारा अपनी विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से की जाती हैं।

समीर प्रशासनिक मामलों में कार्यकारी समिति द्वारा समर्थित शासी परिषद द्वारा, तकनीकी मामलों में अनुसंधान सलाहकार समिति द्वारा तथा वित्तीय मामलों में वित्त एवं लेखा समिति द्वारा प्रबंधित किया जाता है। “निदेशक” समीर का मुख्य कार्यकारी है एवं सोसायटी को प्रबंधित करने हेतु सभी जिम्मेदारियाँ रखता है।

समीर का मुख्यालय मुम्बई में है एवं इसके दो केन्द्र, विद्युत चुम्बकीय केन्द्र एवं मिलीमीटर तरंग अनुसंधान केन्द्र क्रमशः चेन्नई एवं कोलकाता में स्थित हैं।

4.2.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा 2011-12 की समयावधि के दौरान संचालित की गई जिसमें 2007-08 से 2011-12 के दौरान प्रायोजित मुख्य अनुदान एवं मुख्य कार्यान्वित परियोजनाओं को लिया गया। चूंकि समीर के पास केन्द्रीय मानीटरिंग यंत्रावली/डाटा बेस सभी ली गई परियोजनाओं की प्रगति को मानीटर करने के लिये नहीं थी। हमने नमूना जांच करने के लिये समीर द्वारा दी गई परियोजनाओं की सूची पर विश्वास किया।

4.2.3 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा मापदण्ड के मुख्य स्रोत थे:

- समीर संघ का ज्ञापन पत्रक
- समीर के नियम एवं विनियम
- समीर के नियम
- शासी परिषद एवं कार्यकारी समिति की शाक्तियों को सौंपना
- परियोजना समीक्षा एवं संचालन समिति प्रतिवेदन
- समीर की 2011-12 वर्ष के लिये परियोजना अनुसूची।

4.2.4 लेखापरीक्षा क्रियाविधि

लेखापरीक्षा निष्कर्ष संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा, प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर चर्चा, समीर द्वारा परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रबंधन के संबंध में समीर मुम्बई के निरीक्षण पर आधारित थे। वृहत स्तरीय वित्तीय आकड़े समीर के वित्तीय विवरणों से लेखापरीक्षा विश्लेषण के लिये प्राप्त किये गये थे। इसके अतिरिक्त 20 लाख एवं उससे अधिक लागत की 2007-08 से 2011-12 के बीच कार्यान्वयन के अनुदान एवं प्रायोजित परियोजनाओं की विस्तृत लेखापरीक्षा की गई तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों को रिपोर्ट किया गया।

4.2.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्ष वित्तीय प्रबंधन, परियोजना दिशा निर्देशों को न बनाना, परियोजना कार्यान्वयन एवं उसकी मानीटरिंग, सहायक अनुदान परियोजनाओं, प्रायोजित परियोजनाओं, मुख्य परियोजनाओं एवं बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के अंतर्गत लाये गये हैं।

4.2.5.1 वित्तीय प्रबंधन

समीर को वित्त के लिये इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई) से अनुदान मिलता है तथा प्रायोजित एजेंसियों जैसे दूसरे मंत्रालयों/विभागों/भारत सरकार के स्वायत्तशासी संगठनों से पूँजी प्राप्त होती है। 2007-12 के दौरान “समीर” ने कुल ₹304 करोड़ विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किये (₹158 करोड़ डी ई आई टी वाई से सहायक अनुदान एवं ₹146 करोड़ प्रायोजित एजेंसियों से) उसमें से ₹246 करोड़ का खर्च उस समयावधि के दौरान हुआ था। इसके अतिरिक्त ₹77.64 करोड़ उसी अवधि के दौरान परीक्षण मापक, सलाहकारी सेवाओं एवं अन्य आय के रूप में प्राप्त किये गये।

(i) सहायक अनुदान

समीर के आय एवं खर्च के लेखे का सारांश जो 2007-08 से 2011-12 के दौरान प्राप्त अनुदान एवं अनुदान में से खर्चों को दर्शाता है, नीचे तालिका-I में दिया हुआ है।

तालिका-1

(रुपयोग में)

वर्ष	प्राप्तियां			व्यय	अनुपयोगी निधि	उपयोग नहीं की गई निधि की प्रतिशतता
	सं सू. प्रौ. म से प्राप्त अनुदान ⁵	अन्य प्राप्तियां ⁶	कुल प्राप्तियां			
2007-08	23.11	10.53	33.64	19.64	14.00	42
2008-09	25.34	19.46	44.80	24.95	19.85	44
2009-10	38.74	12.27	51.01	30.66	20.35	40
2010-11	35.78	18.49	54.27	28.69	25.58	47
2011-12	34.70	16.89	51.59	31.08	20.51	40
कुल	157.67	77.64	235.31	135.02	100.29	

(स्रोत— समीर का वार्षिक प्रतिवेदन (2007-12))

तालिका-1 से यह प्रमाणित है कि 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान यद्यपि खर्चों में निरन्तर वृद्धि रही है फिर भी उसी अवधि के दौरान वहां अनुदान का लगातार कम उपयोग हुआ जिसके परिणामस्वरूप 40 से 47 प्रतिशत वार्षिक बचत रही।

⁵ संचार मंत्रालय व सूचना प्रौद्योगिकी

⁶ परीक्षण मापक, सलाहकारी सेवाओं एवं अन्य आय

समीर ₹68.74 करोड़ के अनुदानों के विषय में उपयोगिता प्रमाणपत्र देने में भी असफल रहा, जैसा कि नीचे तालिका-2 में दर्शाया गया है।

तालिका-2

(₹करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की राशि	वर्ष में देय उ प्र	मार्च 2012 तक देय उ प्र की राशि	देय उ प्र की संख्या
1	0.92	2008-09	0.92	1
2	1.37	2009-10	1.37	2
3	13.35	2010-11	13.35	4
4	53.10	2011-12	53.10	10
	68.74		68.74	17

(स्रोत – डी ई आर्फ टी वार्स द्वारा प्राप्त विवरण)

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2012) यह कहा गया (फरवरी 2013) कि 17 उपयोगिता प्रमाणपत्रों की ₹68.74 करोड़ जैसाकि लेखापरीक्षा ने बताया के विरुद्ध केवल ₹13.72 करोड़ के 5 उपयोगिता प्रमाणपत्र दिसम्बर 2012 को लंबित थे।

दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि समीर द्वारा जमा किये गये उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विवरण 2010-11 तक की अवधि तक आवंटित अनुदान के संबंध में था जबकि लेखापरीक्षा 2011-12 की अवधि के लिये थी जिसमें ₹53.10 करोड़ की रकम के अतिरिक्त 10 उपयोगिता प्रमाण—पत्र समीर द्वारा 2011-12 वर्ष के दौरान जमा नहीं किये गये थे। यह दर्शाता था कि अनुदान का उपयोग उसी वर्ष जिसमें वह प्राप्त हुई थी नहीं किया जा रहा था और इसलिये मंत्रालय द्वारा प्रभावी वित्तीय नियंत्रण की शीघ्र आवश्यकता थी जिससे अनुदानों को देने से पहले उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करना सुनिश्चित हो सके।

(ii) प्रायोजित निधि

सरकारी विभागों/संगठनों के प्रायोजित परियोजनाओं के विरुद्ध प्राप्त “निधि” को अलग से निधि के अन्तर्गत रखा है जिसको “प्रायोजित परियोजना निधि” कहते हैं जहां प्रायोजित परियोजनाओं पर व्यय नहीं की गई शेष राशि रखी गई है। वर्षवार विवरण तालिका-3 में नीचे दिया गया है।

तालिका-3

(रुपयोगिता में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्रायोजक एजेंसी से प्राप्त फंड	कुल	व्यय	उपयोगिता का प्रतिशत	आगे बढ़ाई गई निधि
2007-08	39.09	46.46	85.55	17.88	20.90	67.67
2008-09	67.67	32.84	100.51	21.09	20.98	79.42
2009-10	79.42	18.01	97.43	19.56	20.07	77.87
2010-11	77.87	31.01	108.88	24.51	22.51	84.37
2011-12	84.37	18.10	102.47	28.44	27.75	74.03
कुल		146.42		111.48		

(स्रोत— समीर का वार्षिक प्रतिवेदन (2007-12))

उपरोक्त तालिका-3 से देखा जा सकता है कि प्रायोजित निधि का उपयोगिता प्रतिशत केवल 20 प्रतिशत से 28 प्रतिशत के बीच है। इसके परिणामस्वरूप प्रायोजक एजेन्सियों से प्राप्त निधि संबंधित वर्षों में जिस काम के लिये दी गई थी उसके लाभपूर्ण उपयोग किये बाहर फिक्स जमाओं में पड़ी रही जोकि ₹86 करोड़ (2007-2008) से ₹140 करोड़ (2011-12) के बीच थी।

लेखापरीक्षा द्वारा (नवम्बर 2012) यह इंगित किये जाने पर मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2013) कि समीर द्वारा उत्पन्न किये गये उच्चतर आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन संगठन की अच्छी वित्तीय स्थिति दर्शाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ₹140 करोड़ का कैश एवं बैंक बैलेंस जिसमें पिछला प्रायोजित परियोजना फंड (₹74.03 करोड़) के एवं (₹77.64 करोड़) के आन्तरिक राजस्व समाहित है।

दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है चूंकि ₹74.03 करोड़ के प्रायोजित परियोजना फंड सम्बन्धित प्रायोजित करने वाले विभागों के द्वारा अग्रिम दिया गया सरकारी फंड है और इस प्रकार इसे आई ई बी आर के रूप में नहीं समझा जा सकता। साथ ही आई ई बी आर आन्तरिक संसाधनों से पैदा किया जाना है एवं इसमें नये सौंपे कार्य को बिना किए हुए विशेष उद्देश्यों के लिए दिये गये प्रायोजित फंड से ब्याज शामिल नहीं होगा। बाद में आन्तरिक राजस्व के ₹77.64 करोड़ में से अधिकतम रकम ₹39.68 करोड़ बैंक जमाओं से प्राप्त ब्याज है जो बैंक में प्रायोजित परियोजना फंड के रखने के कारण बढ़ गया है। इस प्रकार नकद एवं बैंक बैलेंस का अधिकतम हिस्सा सरकारी पैसे एवं ब्याज का भाग है तथा यह “समीर” के आन्तरिक संसाधनों द्वारा अर्जित नहीं है।

4.2.5.2 परियोजना दिशानिर्देशों को न बनाना

शासी परिषद को सोसाइटी द्वारा सेवाओं का मूल्य निर्धारण करने हेतु जिसमें मानवशक्ति शुल्क सोसाइटी द्वारा निर्मित सुविधाओं का उपयोग शुल्क, परियोजना लागत तक पहुंचने की क्रियाविधि, तकनीक स्थानान्तरण की सेवा व शर्त, दरें जिस पर रायल्टी इकट्ठा की जानी है इत्यादि पर सामान्य दिशा निर्देश अनुमोदन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान की गई है। हमने पाया कि (नवम्बर 2012) कोई भी दिशा-निर्देश उपरोक्त मुद्दों को समाहित करते हुए शासी परिषद के द्वारा नहीं बनाये एवं अनुमोदित किये गये। सामान्य दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति में “समीर” परियोजना की गतिविधियां संचालित कर रहा था और तदर्थ रूप में बिना किसी निर्धारित नियम व विनियम के तकनीक स्थानान्तरण भी कर रहा था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2013) कि “समीर” लगभग सभी परियोजनायें केवल सरकारी विभागों/मंत्रालयों के लिये निष्पादित कर रहा था। बाद में परियोजना लागत के निर्धारण के उद्देश के लिये गठित आंतरिक समिति की अनुशंसा पर दिशा निर्देश निर्मित किये गये एवं इन्हीं का अनुपालन किया जा रहा है।

यह उत्तर कि चूंकि परियोजनाओं का कार्यान्वयन सरकारी विभागों/मंत्रालयों के लिये है “समीर” को बिना उचित नियमों, विनियमों के इन परियोजनाओं का संचालन करने की छूट नहीं दी जा सकती है। बाद में आन्तरिक समिति ने स्वयं कहा था कि परियोजना लागत से संबंधित दिशानिर्देश प्रारम्भिक अनुशंसायें थी एवं बाद में उन्हें अंतिम रूप से निर्धारित करने के लिये लेखाकारों/चार्टर्ड लेखाकारों के साथ परिचर्चायें की जानी थी।

4.2.5.3 परियोजना कार्यान्वयन एवं इसकी मानीटरिंग

“समीर” के निदेशक ने प्रत्येक मुख्य परियोजना की प्रगति मानीटर करने हेतु विशेषज्ञों की समितियाँ गठित की थी। प्रायोजित परियोजनाओं तथा सहायक अनुदान प्राप्त परियोजनाओं के संबंध में प्रायोजित करने वाले विभाग ने परियोजना के आवधिक पुनरीक्षण के लिये परियोजना समीक्षा एवं संचालन ग्रुप (पी आर एस जी) नियुक्त की है। पी आर एस जी के सदस्य प्रायोजित करने वाले विभागों द्वारा नामित किये जाते हैं एवं आगन्तुक समीर की समिति के चेयरमैन जैसे मुख्य अन्वेषक एवं कार्यक्रम निदेशक के द्वारा निर्णीत किये जाते हैं।

हमने पाया (नवम्बर 2012) कि यद्यपि ये समितियां विशेष परियोजनाओं का पुनरीक्षण अलग-अलग मामले के आधार पर अवधिक रूप से कर रही थी लेकिन समीर द्वारा लिये गये सभी परियोजनाओं को मानीटर करने के लिये कोई केन्द्रीय मानीटरिंग यंत्रावली या परियोजना ट्रैकर तंत्र नहीं था। फलस्वरूप विभिन्न परियोजनाओं की सम्पूर्ण प्रगति ज्ञात नहीं की जा सकी। नवम्बर (2012) में हमारे द्वारा बताये जाने पर यह कहा गया था (फरवरी 2013) कि साफ्टवेयर खोजी कार्यान्वयन के

लिये विचार किया जायेगा। दिया गया उत्तर अंततः समीर में पूर्ण परियोजनाओं की मानीटरिंग तथा नियंत्रण यंत्रावली में कमी का सूचक है।

4.2.5.4 सहायक अनुदान प्राप्त परियोजनायें

ये परियोजनायें “समीर” द्वारा डी ई आई टी वाई से प्राप्त अनुदान के आधार पर ली गई हैं। “समीर” ने 2007-08 से 2011-12 के दौरान 23 इस प्रकार की सहायक अनुदान प्राप्त परियोजनायें ली थी, उनमें से 10 पूरी की गई थी जो नीचे तालिका-4 में बताई गई हैं:

तालिका-4

	सहायक अनुदान परियोजनाओं का अप्रैल 2007 का शुरूआती शेष	2007 – 2012 के दौरान जोड़ी गई परियोजनायें	2007 – 2012 के दौरान पूरी की गई परियोजनायें	परियोजनाओं का अंतिम शेष
मुम्बई	3	12	6	9
चैन्नई	1	3	2	2
कोलकाता	2	2	2	2
कुल	6	17	10	13

इन परियोजनाओं से सम्बन्धित हमारे परीक्षणों ने (जुलाई व नवम्बर 2012) 10 पूर्ण परियोजनाओं में से 7 परियोजनाओं में पूरे होने में 1 से 18 महीने के बीच तथा 13 चल रही परियोजनाओं में से 8 में 10 से 39 महीने के बीच का विलम्ब पाया।

हमने 2007-08 से 2011-12 तक अवधि के दौरान कार्यान्वित 23 में से चार⁷ सहायता अनुदान प्राप्त परियोजनाओं की विस्तृत जांच की थी तथा इसमें महत्वपूर्ण समय व लागत की वृद्धि पाई। इसे आगे आने वाले पैराग्राफ में दर्शाया गया है।

(i) एकीकृत चिकित्सा लीनेक तंत्र को लगाने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

(क) फेस I

मार्च 2001 में फरवरी 2003 तक दो वर्षों की परियोजना अवधि तथा ₹7.00 करोड़ की कुल लागत के साथ डी ई आई टी वाई ने “कैंसर थरैपी के लिए 6 एम वी के दो देशी विकसित एकीकृत

⁷ (क) एकीकृत चिकित्सा लीनेक तंत्र को लगाने के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम
 (ख) लीनेक ट्यूब तथा लाइनर एक्सीलेटर के फेव्रीकेशन के लिये परियोजना
 (ग) हाइब्रीड डायर के विकास एवं विस्तार पर परियोजना
 (घ) सापटवेयर डिफाइन रेडियो की रूपरेखा एवं विकास पर परियोजना

चिकित्सा लीनेक⁸ तंत्र लगाने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम” (फेस I) अनुमोदित किये। हमने पाया (नवम्बर 2012) कि ₹7.77 करोड़ की लागत वाली दोनों चिकित्सा लीनेक यूनिटें पांच वर्षों से अधिक की देरी से मई 2008 से आरम्भ की गई।

(ख) कार्यक्रम का फेस II

10.70 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर चार विभिन्न अस्पतालों में चार 6 एम वी एकीकृत चिकित्सा लीनेक मशीनों को लगाने के लिए फरवरी 2008 में डी ई आई टी वाई ने परियोजना के फेस-II को अनुमोदित किया। परियोजना की अवधि मार्च 2008 से अगस्त 2011 थी। फेस-II परियोजना में 31 मार्च 2011 तक ₹6.38 करोड़ व्यय करने के बाद भी समीर निश्चित समय में एक मशीन भी चालू नहीं कर सका।

प्रोजेक्ट रिव्यू एण्ड स्टीयरिंग ग्रुप (पी आर एस जी) ने सितम्बर 2011 में परियोजना की समीक्षा की तथा विलम्ब पर गंभीर चिंता व्यक्त की एवं सुझाव दिया कि समीर को समय प्रबंधन में और कार्यकुशल होना चाहिये।

मंत्रालय ने (फरवरी 2013) में बताया कि प्रथम यूनिट फरवरी 2013 में शुरू हो जायेगी तथा अगली तीन यूनिटों का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है एवं अगले कुछ माह में शुरू हो जायेगी। समीर ने पुनः कहा (सितम्बर 2013) कि कार्य पूर्ण होने की संशोधित तिथि 31 दिसम्बर 2013 थी।

इस प्रकार, फेस-I के अधीन मई-2008 में दो 6 एम वी चिकित्सा लीनेक प्रणाली आरम्भ होने के बावजूद, फेस-II में सभी चार 6 एम वी चिकित्सा प्रणाली आरम्भ होने में काफी विलम्ब था।

(ग) चिकित्सा लीनेक मशीनों का वाणिज्यिक उत्पादन

समीर ने (मार्च 2011 में) पी आर एस जी को उचित लागत पर 6 एम वी संघटित चिकित्सा लीनेक को उद्योग के लिए वाणिज्यिक उत्पादन से संबंधित तकनीकी स्थानान्तरण (टी ओ टी) हेतु विचार करने को कहा था। तदनुसार पी आर एस जी ने टी ओ टी विषय पर (सितम्बर 2011 में) सिफारिश की कि प्रत्येक तकनीक प्राप्तकर्ता 1 करोड़ रु. टी ओ टी शुल्क का भुगतान करेगा। पी आर एस जी ने निदेशक समीर को निर्देश दिये (सितम्बर 2011) कि उद्योगों को अल्पावधि में अपनी वित्तीय बोली जमा करने के लिए लिखा जाये तथा डी ई आई टी वाई, नई दिल्ली पर पी आर एस जी के साथ अगली बैठक में सहयोग किया जाये। अगस्त 2012 तक इस दिशा में कोई अतिरिक्त प्रगति नहीं हुई थी।

⁸ लाइनर पार्टीकल एक्सीलेअरटर

फरवरी 2013 में मंत्रालय ने उत्तर दिया कि टी ओ टी के लिए मैसर्स पैनासिया मेडिकल टैक्नोलोजी की पहचान की गई थी तथा प्रथम मसौदा करार कम्पनी को भेज दिया गया था।

हमने पाया (नवम्बर 2012) कि फेस-I में 6 एम वी एकीकृत चिकित्सा लीनेक स्थापित होने के चार वर्षों से अधिक समय के पश्चात् भी तकनीक स्थानान्तरित नहीं की जा सकी थी तथा तथा समीर के समर्थ मूल्य पर देशी चिकित्सा लीनेक के वाणिज्यिक उत्पादन, के रूप में अनुसंधान व विकास का उद्देश्य अभी पूरा होना था।

(ii) लीनेक ट्यूब तथा लाइनियर एक्सेलेटर के फैब्रिकेशन बावत् परियोजना

समीर, नवी मुम्बई पर लीनेक ट्यूब एण्ड लीनियर एक्सेलेटर के बैच फैब्रिकेशन की सुविधा की स्थापना तीन वर्षों की अवधि में डी ई आई टी वाई ने ₹24.88 करोड़ की लागत पर अनुमोदित (नवम्बर 2005) की थी। दिसम्बर 2009 में, परियोजना की लागत ₹27.58 करोड़ संशोधित की गई जिसमें डी ई आई टी वाई का योगदान ₹25.38 करोड़ सहायता अनुदान के रूप में तथा समीर का योगदान ₹2.20 करोड़ है तथा परियोजना की अवधि को दिसम्बर 2010 तक बढ़ा दिया गया था।

हमने (नवम्बर 2012 में) पाया कि सभी गतिविधियों से संबंधित सिविल कार्य अगस्त 2010 में पूर्ण कर लिये थे। ₹59.73 लाख के खरीदे गये उपकरण चार वर्षों से अधिक अवधि से निष्क्रिय पड़े थे तथा परियोजना के लिए वांछित 6 उपस्करणों को क्रय किया जाना शेष था (सितम्बर 2011)। हमने आगे यह भी पाया कि समीर ने ₹27.40 करोड़ व्यय कर दिये थे तथा परियोजना पूर्ण होना अभी शेष था (फरवरी 2013)।

मंत्रालय ने (फरवरी 2013) बताया कि समीर ने एक सिविल विशेषज्ञ सलाहकार तथा एक विद्युत अभियंता को ठेके के आधार पर नियुक्त किया था तथा लगभग सभी उपस्कर चालू किये जा चुके थे। पर यह तथ्य है कि समीर का परियोजना प्रबंधन अकुशल तथा धीमा था क्योंकि परियोजना 2008 में पूर्ण होनी थी परन्तु यह फरवरी 2013 तक अपूर्ण थी।

(iii) हाईब्रीड ड्रायर्स का विकास एंव तैनाती की परियोजना

डी ई आई टी वाई ने सिक्किम एंव त्रिपुरा में ऐसी दो मशीने स्थापित करने के लिये जुलाई 2007 में ₹98 लाख की कुल लागत पर 18 महीनों की अवधि के लिये हाईब्रीड ड्रायर्स के विकास के लिए एक परियोजना की संस्थापना की थी। डी ई आई टी वाई ने अगस्त 2009 में परियोजना की कीमत ₹1.03 करोड़ बढ़ा दिया तथा कार्य पूर्ण होने की अवधि दिसम्बर 2009 तक बढ़ा दी। हाईब्रीड ड्रायर प्राकृतिक उत्पाद जैसे सब्जी, मसाले, चाय पत्ती आदि को सुखाने के लिए था।

समीर ने प्रयोगकर्ता राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान दिये बिना सिक्किम तथा त्रिपुरा में जगहों की पहचान कर ली। सिक्किम सरकार ने स्थीकृति के संकेत नहीं दिये तथा तत्पश्चात् समीर ने

हाईब्रीड ड्रायर को असम में चाय की पत्ती सुखाने के लिये स्थापित करने का निर्णय किया। तदनुसार ड्रायर को सिक्किम से बदल कर इसे जुलाई 2009 में चाय अनुसंधान संघ (टी आर ए) जोरहट में स्थापित कर दिया गया तथा जनवरी 2011 में कहा कि वे इसे विभिन्न प्रकार की चाय की पत्तियों को सुखाने का परीक्षण कर रहे हैं।

दूसरे ड्रायर के संबंध में, त्रिपुरा सरकार ने निर्णय लिया कि ग्रीन टी प्रक्रिया के लिए लुधुआ टी एस्टेट में ड्रायर स्थापित किया जाये। समीर ने (दिसम्बर 2011) बताया कि हाईब्रीड ड्रायर को लुधुआ टी एस्टेट द्वारा क्रय किये गये उपस्कर के साथ एकीकृत होना है तथा संकेत दिये कि जनवरी 2012 तक हाईब्रीड ड्रायर स्थापना कर सुखाने की सुविधा उपलब्ध होगी।

मंत्रालय ने (फरवरी 2013) कहा कि प्रयोगकर्ता विभागों के निर्णयों के कारण समस्त देरी हुई तथा 2012 तक ड्रायर्स स्थापित हो चुके थे।

उत्तर अस्वीकार्य है जैसा कि पूरी परियोजना साझेदारों की आवश्यकताओं तथा उनकी तैयारियों को पहचाने बिना नई तकनीक को ग्रहण करने के लिये अवसंरचना उपलब्ध कराई गई जिसके परिणामस्वरूप ड्रायर्स को स्थापित करने तथा उपयोग करने में तीन वर्षों से अधिक का विलम्ब हुआ।

(iv) सॉफ्टवेयर डिफाइन रेडियो की रूपरेखा एंव विकास पर परियोजना

संचार एंव सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली ने सी-डेक के ₹3.48 करोड़ तथा समीर के ₹1.47 करोड़ के अंशदान के साथ अप्रैल 2007 में ₹4.95 करोड़ की लागत से सॉफ्टवेयर डिफाइन रेडियो (एस डी आर) की रूपरेखा एंव विकास की एक परियोजना की संस्थीकृति प्रदान की।

परियोजना अप्रैल 2007 में शुरू की गई तथा सितम्बर 2008 में अंशिक रूप से पूर्ण हुई। समापन प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि परियोजना का उद्देश्य उद्योगों के लिये एक प्रोटोटाइप का विकास एंव तकनीक हस्तांतरण था। इसलिये एस डी आर के वाणिज्यिक संस्करण के लिए एक मार्गदर्शिका तैयार किया गया तथा अनुकूल सुरक्षा उपयोगिता क्षेत्रों तथा वाणिज्यिक आवश्यकताओं हेतु आवेदनों के साथ समीर ने एस डी आर की विभिन्न प्रकार की दो अथवा तीन योजनाएँ बनाई। जनवरी 2012 में प्रबंधन ने कहा कि उसके वैज्ञानिक बहुत से प्रायोजित तथा मुख्य परियोजनाओं में व्यस्त थे तथा दूसरे फेस के लिये श्रमशक्ति उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है जिस पर बाद में चालू परियोजनाओं के पूर्ण होने के उपरांत ही विचार किया जा सकेगा।

हमने (नवम्बर 2012 में) पाया कि 2008 में प्रोटोटाइप विकास का प्रथम चरण पूर्ण होने के चार वर्ष पश्चात् भी एस डी आर की उगाही का अगला चरण आरम्भ नहीं हुआ था।

मंत्रालय ने (फरवरी 2013 में) बताया कि समीर द्वारा प्रोटोटाइप की विस्तृत रूपरेखा एवं विकसित हार्डवेयर सी-डेक के पास था तथा उसका उपयोग उनके द्वारा होगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि 2008 में प्रोटोटाइप विकास को चार वर्ष बीत जाने के बाद भी समीर द्वारा एक प्रोटोटाइप एस डी आर तंत्र के विकास पर व्यय की गई राशि तथा प्रयासों से उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका जिनके लिए उनका विकास किया गया था।

4.2.5.5 प्रायोजित परियोजनाएं

सरकारी विभाग जैसे कि विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा प्रेषित प्रायोजित परियोजनाएं समीर ने ली तथा जिनमें निजी क्षेत्र/उद्योग की भागीदारी नहीं थी।

116 प्रायोजित परियोजनाओं में से समीर ने 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान 76 परियोजनाएँ पूर्ण की जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका-5 में दिया गया है:

तालिका-5

समीर इकाई	अप्रैल 2007 में प्रायोजित परियोजनाओं का प्रारम्भिक शेष	2007 – 2012 के दौरान जोड़ी गई परियोजनायें	2007 – 2012 के दौरान पूरी की गई परियोजनायें	परियोजनाओं का अंतिम शेष
मुम्बई	40	41	50	31
कोलकाता	03	05	04	04
चैन्नई	09	18	22	05
कुल	52	64	76	40

इन परियोजनाओं की जांच (जुलाई तथा नवम्बर 2012) से पता लगा कि इनमें पर्याप्त समय एवं लागत वृद्धि हुई जिसे आगे आने वाले पैराग्राफों में बताया गया है।

(i) प्रायोजित परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब

116 प्रायोजित परियोजनाओं में से 76 परियोजनायें पूर्ण हो चुकी थीं तथा 40 पर कार्य प्रगति पर था। इसके अतिरिक्त पूर्ण हुई 76 परियोजनाओं में से 47 तथा चल रही 40 परियोजनाओं में से 28 में विलम्ब था। इन परियोजनाओं में विलम्ब 4 से 136 माह के बीच था। इसके अतिरिक्त, परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की दशा में परियोजना में लागत वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं था।

हमने विस्तृत परीक्षण हेतु प्रायोजित संगठनों में से पाँच मुख्य परियोजनाएँ⁹ जिनमें विलम्ब तथा लागत की वसूली नहीं हो सकी थी, का चयन किया तथा पाया कि (जुलाई तथा नवम्बर 2012) हमारे निष्कर्षों का विवरण निम्न प्रकार है:

(क) इलेक्ट्रॉन बीम केन्द्र की स्थापना तथा औद्योगिक एक्सीलेटर्स विकास पर परियोजना

समीर ने अक्टूबर 1999 में भाभा एटोमिक अनुसंधान केन्द्र (बी ए आर सी), मुम्बई के साथ “इलेक्ट्रॉन बीम केन्द्र तथा औद्योगिक एक्सीलेटर्स विकास की संयुक्त स्थापना हेतु वैज्ञानिक सहयोग” बेलापुर, नवी मुम्बई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। दिसम्बर 1999 तक रूपरेखा तथा फैब्रीकेशन एवं परीक्षण दिसम्बर 2000 तक पूर्ण करने की समयावधि तय की गई और परियोजना समन्वय की सिफारिश पर परियोजना संचालन समूह द्वारा समीर को चरणों में ₹80.00 लाख की निधि जारी करनी थी। समझौता ज्ञापन का समय—समय पर विस्तार किया गया था। अक्टूबर 2009 में पांच अतिरिक्त वर्षों के लिए अक्टूबर 2014 तक के लिए विस्तार किया गया। यह पाया गया (जुलाई 2012) की बी ए आर सी ने केवल ₹72.00 लाख जारी किये थे तथा बढ़ी हुई लागत के ₹52.30 लाख उनके द्वारा जारी नहीं किये थे।

लेखा परीक्षा द्वारा (नवम्बर 2012) यह इंगित किये जाने पर मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2013) की बी ए आर सी अब निधि जारी करने पर सहमत हो गयी थी।

(ख) 6 एम ई वी औद्योगिक लाईनियर एक्सलैटर की स्थापना की परियोजना

अक्टूबर 2007 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (वी एस एस सी) ने समीर को ₹3.20 करोड़ की लागत पर एक 6 एम ई वी औद्योगिक लाईनियर एक्सलैटर की रूपरेखा, विकास, स्थापना एवं आरम्भ करने का आपूर्ति आदेश दिया, जिसे जून 2009 तक पूरा करने का समय दिया था। समीर निर्धारित समय सीमा में परियोजना पूरी करने में विफल रहा तथा उसने अब तक ₹2.60 करोड़ के व्यय कर दिये थे। इसके विरुद्ध समीर को वी एस एस सी से केवल ₹1.68 करोड़ ही प्राप्त हुए थे तथा ₹92 लाख की वी एस एस सी से वसूलने शेष थे (मार्च 2011)। वी एस एस सी ने (मई 2010) इंगित किया कि प्रणाली की स्थापना के दौरान कई समस्याएं थी। प्रणाली को उखाड़ दिया गया तथा समीर को मरम्मत हेतु वापस कर दिया गया, जिसे मार्च 2012 में अंतिम रूप से चालू किया गया तथा उपयोगकर्ता अभिकरण को सौंपा गया।

⁹ (क) इलेक्ट्रॉन बीम केन्द्र की स्थापना व औद्योगिक एक्सीलेटर्स विकास पर परियोजना

(ख) 6 एम ई वी औद्योगिक लाईनियर एक्सीलेटर चालू करने पर परियोजना

(ग) 6 एम ई वी लीनेक प्रणाली चालू करने पर परियोजना

(घ) एस बैंड ट्रान्सपोर्डर के 12 सैट की सुपुर्दगी के लिये परियोजना

(ङ) सी डी एम ए आधारित दूरसंचार (टी सी) प्रणाली पर परियोजना

हमारे द्वारा (नवम्बर 2012) इंगित किये जाने पर, यह कहा गया (फरवरी 2013) कि संभाग द्वारा कुछ एक लीनेक परियोजनाएं साथ—साथ चलाई जा रही थी। सुविधाओं और मानवशक्ति पर दबाव के कारण परियोजनाओं में विलम्ब हुआ। इन परियोजनाओं पर कार्यरत संविदा कर्मचारियों को कुछ उप—प्रणालियों पर स्वतंत्र रूप से कार्य की अनुमति प्रदान करने से पूर्व उचित रूप से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। समीर ने पुनः उत्तर दिया (सितम्बर 2013) की वी एस एस सी से परियोजना की पूरी लागत प्राप्त कर ली गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समीर द्वारा ली गई परियोजनाओं के परिचालन में विलम्ब को दूर करने के लिए सुविधाओं एवं श्रमशक्ति पर दबाव की समस्या को हल करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी।

(ग) 6 एम ई वी लिनेक प्रणाली की स्थापना की परियोजना

अक्टूबर 2004 में एडवांस सिस्टम्स लैबोरेट्री (ए एस एल) ने समीर को ₹2.50 करोड़ की अनुमानित लागत पर 6 एम ई वी लीनेक प्रणाली की रूपरेखा, विकास, स्थापना एवं आरम्भ करने का आपूर्ति आदेश दिया, जिसे अक्टूबर 2006 तक पूर्ण करने का समय दिया गया था। समीर निर्धारित समय सीमा में प्रणाली को प्रदान करने में विफल रहा।

समीर ने (मार्च 2011) कहा कि प्रारंभिक फेस के विकास में विलम्ब था क्योंकि लीनेक ट्यूब वैक्यूम प्रक्रिया उपकरण में मरम्मत हो रही थी। उसने आगे कहा कि खारघर में अपनी नवीन विकसित सुविधा को पूर्वज्ञान में समिति ने बहुत सी लीनेक परियोजनाएं लेने के कारण लगभग दो वर्षों का विलम्ब हुआ। परिणामस्वरूप, समीर के पास उपलब्ध सीमित सुविधाओं में लीनेक परियोजनाएं की जानी थी। विलम्ब के मामलों में पवई सबसे आगे था। लीनेक प्रणाली अगस्त 2011 में अंतिम रूप से स्थापित एवं आरम्भ की गई तथा पूरा भुगतान प्राप्त कर लिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि उचित समय सीमा में कार्य रथल को तैयार करना परियोजना कार्यान्वयन का भाग है। पांच वर्षों तक का असामान्य विलम्ब अपर्याप्त सिन्क्रोनाइजेशन तथा संचालन यंत्र—रचना को दर्शाता है।

(घ) एस—बैंड ट्रांसपोंडर के 12 सैटों की आपूर्ति के लिए परियोजना

मार्च 2006 में इसरो सैटेलाइट केन्द्र (आई एस ए जी) ने समीर को ₹2.40 करोड़ की लागत पर एस—बैंड ट्रांसपोंडर के 12 सैट आपूर्ति का एक आदेश जारी किया था। पहला सैट 26 सप्ताह में, अगले दो सैट 56 सप्ताह के दौरान तथा उसके बाद आगामी प्रत्येक छह माह के दौरान दो सैट आपूर्ति योग्य थे। जुलाई 2011 तक चार सैटों की आपूर्ति की गई थी।

यह पाया गया (जुलाई 2012) कि समीर ने एस बैंड ट्रांसपॉड के 4 सैटों पर ₹2.44 करोड़ व्यय किये थे जबकि 12 सैटों की आपूर्ति के ठेके का कुल मूल्य ₹2.40 करोड़ था, जोकि लागत को बढ़ना दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, समीर को ₹2.44 करोड़ के व्यय के विरुद्ध आई एस ए सी से केवल ₹1.40 करोड़ प्राप्त हुए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹1.04 करोड़ की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा यह इंगित किये जाने पर, यह उत्तर दिया गया (अगस्त 2012) कि स्पेस ग्रेड कम्पोनेंट्स की आपूर्ति में अत्यंत विलम्ब के कारण श्रमशक्ति पर मुख्य व्यय किया गया। श्रमशक्ति का वास्तविक उपयोग साझा समय आधार पर दूसरी चालू अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर हुआ परंतु एस-बैंड परियोजना के विरुद्ध बुकिंग जारी थी, परिणामस्वरूप व्यय में अधिक बढ़ोत्तरी हुई। समीर ने पुनः कहा (सितम्बर 2013) कि मई 2013 में दो और सैटों की आपूर्ति की गई तथा दो सैट प्रगति पर थे। शेष चार सैटों के लिए स्पेस ग्रेड कम्पोनेंट्स आई एस ए सी से प्रतिक्षित थे। यह भी बताया गया कि ₹2.94 करोड़ का कुल व्यय के विरुद्ध ₹1.56 करोड़ की राशि प्राप्त हुई तथा अधिक व्यय की पूर्ति समीर के आंतरिक संसाधनों से की थी।

समीर के उत्तर से यह स्पष्ट था कि वह प्रायोजित निधि समय पर प्राप्त नहीं कर सका था। जिसके कारण परियोजना पर स्वयं की निधि का व्यय हुआ।

(ङ) कोड डिविजन मल्टीपल एसेस बेस्ड टेलीकम्यूनिकेशन (टी सी) सिस्टम पर परियोजना

इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आई टी आर) चांदीपुर ने मार्च 2010 में ₹57.94 लाख की लागत पर कोड डिविजन मल्टीपल एसेस (सी डी एम ए) आधारित टी सी सिस्टम की आपूर्ति का आदेश दिया था। आई टी आर ने जून 2010 में ₹19.17 लाख के अग्रिम का भुगतान किया तथा जून 2011 तक सिस्टम प्रदान किया जाना था। कंपोनेंट व मोड्यूल के क्रय में विलम्ब के कारण सिस्टम विकसित नहीं किया जा सका था।

उत्तर में, यह कहा गया था कि (अगस्त 2012) विलम्ब का मुख्य कारण निधि प्रदान करना था तथा भविष्य में समीर को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्ताव में उचित समयावधि को दर्शाया गया है। तथापि, समीर ने अधिप्राप्ति में विलम्ब का मामला नहीं बताया था। इसके अतिरिक्त समीर ने बताया (सितम्बर 2013) कि परियोजना पूरी हो गई थी तथा जुलाई 2013 में सिस्टम प्रदान कर दिया गया था। ₹50.38 लाख की राशि के खर्चे के विरुद्ध ₹19.17 लाख की प्राप्ति हुई थी तथा आंतरिक संसाधनों से निधि का आधिक्य व्यवस्थित किया गया था, यहां यह भी बताया कि शेष राशि की वसूली मूल्यांकन के समाप्त होने पर होगी।

समीर के उत्तर से पुनः यह स्पष्ट था कि वह प्रायोजित निधि समय पर प्राप्त नहीं कर सका था। जिसके कारण परियोजना पर स्वयं की निधि का व्यय हुआ।

(ii) प्रायोजित परियोजना अनुमोदन, लागत व कीमत निर्धारण में कमियां

एजेन्सियों से प्रायोजित परियोजनाओं को लेने के लिए अनुरोध प्राप्त किया गया है और अनुरोध पर समीर ने अपनी परियोजनायें कोटेशन के साथ प्रस्तुत की। हमने देखा (नवम्बर 2012) कि कोटेशन तैयार करने के लिए कोई मानक आधार ग्रहण नहीं किये गये थे तथा बैठक की बातचीत में कीमत में प्रस्तावित छूट तथा बैठक में कीमत की बातचीत का कार्यक्रम रिकॉर्ड में नहीं थे। हमने यह भी देखा कि नई परियोजनाओं लेते समय वित्त, जन शक्ति तथा अवसंरचना के अनुसार विद्यमान संसाधनों का मूल्यांकन करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन भी नहीं किया गया था। अधिकतर प्रकरणों में पूर्णरूप से परियोजना फाइल का प्रलेखन खराब था।

हमारे द्वारा यह झंगित किये जाने पर (नवम्बर 2012), यह उत्तर दिया गया था (फरवरी 2013) कि परियोजना प्रस्ताव सरकारी प्रायोजित एजेन्सियों द्वारा दिये गये फारमेट में प्रस्तुत किये गये थे। समय के दबाव में व डिजाइन की अनिश्चितता के कारण प्रत्येक प्रकरण में व्यवहार्यता परियोजना दस्तावेज तैयार नहीं किये गये थे। इसके अतिरिक्त, समीर द्वारा ली गई सभी परियोजनायें विभिन्न प्रकृति की थीं, विभिन्न प्रकार के संसाधनों जैसे अवसंरचना, जनशक्ति आदि की आवश्यकता थी और कुछ परियोजनाओं में विशेष अवसंरचना अपेक्षित थी।

यह उत्तर ठीक नहीं है कि सभी परियोजनायें जो कि विविध प्रकृति की थीं तथा इसलिए आधारभूत एक समान नियम पर यह लागू नहीं थीं। समीर को पारदर्शिता व जिम्मेवारी के लिए परियोजना अनुमोदन, लागत व कीमत निर्धारण के सम्बंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने चाहिए थे।

(iii) प्रायोजित परियोजनाओं में अनियमित व्यय

2007-12 की अवधि में पूर्ण 54 प्रायोजित परियोजनाओं के सम्बंध में हमारी जांच से पता चला कि 10 प्रायोजित परियोजनाओं में, ₹87.15 लाख का अनियमित व्यय 2011-12 में बुक किया गया था जैसा कि नीचे तालिका-6 में दिया गया था।

तालिका-6

क्रम सं.	परियोजना का नाम	पूर्णता की तारीख	प्रयोजक से अग्रिम	कुल व्यय	31-03-2012 को शेष	2011-12 में अनियमित व्यय
				(₹ करोड़ में)		(₹ राशि में)
1	हाईट सेंसिंग डिवाइस	13-01-2011	1.15	0.61	0.54	9957
2	9 एम वी लीनियर एक्सिलेटर	26-02-2010	4.82	4.70	0.12	1198336
3	के ए बैंड एकिटव रडॉर सीकर	28-02-2009	1.74	1.76	-0.02	69077
4	वैरिएबल एलटीच्यूट स्विच	07-03-2007	0.85	0.66	0.19	2123227
5	एच पी आर एफ ट्रांसमीटर	04-12-2010	1.40	1.45	-0.05	902950

2014 की प्रतिवेदन संख्या 17

क्रम सं.	परियोजना का नाम	पूर्णता की तारीख	प्रयोजक से अग्रिम	कुल व्यय	31-03-2012 को शेष	2011-12 में अनियमित व्यय
				(₹ करोड़ में)		(₹ राशि में)
6	रेडियोथिओडोलाईट का विकास	16-03-2011	1.16	0.69	0.47	129408
7	अल्टीमेटर का विकास	22-04-2010	1.65	0.70	0.95	3449937
8	फेज्ड अरे सोडार –वी एस सी	31-03-2009	0.40	0.39	0.01	9078
9	फेज्ड अरे सोडार –डी ए ई	28-04-2010	0.25	0.18	0.07	290621
10	फेज्ड अरे सोडार –कलपक्कम	15-03-2011	0.25	0.20	0.05	531985
	कुल		13.67	11.34	2.33	8714576

उपरोक्त तालिक-6 से यह देखा जा सकता है कि प्रायोजित परियोजनाओं की पूर्णता के एक से 5 वर्षों के बाद भी (i) 2011-12 में व्यय अनियमित बुक किया जा रहा था। (ii) प्रायोजकों से ₹2.33 करोड़ शेष अग्रिम वापिस नहीं हुआ था। (iii) दो परियोजनाओं के ए बैंड एकिटव रडार सीकर व एच पी आर एफ ट्रान्समीटर, में व्यय प्रायोजकों द्वारा भुगतान अग्रिम से अधिक था। यह अनियमितताएँ खराब लेखांकन को प्रदर्शित करती है जो कि परियोजना लागत पर नीति की कमी, व्यय बुकिंग, परियोजना बंद किये जाने तथा परियोजना को वित्तीय रूप से बंद किये जाने के कारण थी।

समीर ने बताया (दिसम्बर 2012) कि सिस्टम की प्रारम्भिक डिलीवरी के बाद परियोजनायें तकनीकी रूप से बंद कर दी गई थीं। तथापि, संबंधित पूरे स्टॉफ को अभी भी रखा गया था, क्योंकि प्रयोक्ता एजेन्सियों को परियोजना बंद करने व अंतिम किश्त देने से पहले आवश्यक जांच करनी थी। स्टॉफ की भी आवश्यकता थी जो कि ब्रेकडाउन अनुरक्षण व अपग्रेडेशन आदि को देखें। यह भी कहा गया था कि आर एवं डी परियोजनाओं में परियोजना समाप्त होने के बाद अतिशीघ्र परियोजनाओं को सौंपने का ऐसा कोई बिन्दु नहीं हो सकता है। इसलिये यह समझा जाता है कि परियोजना तभी पूर्ण मानी जायेगी जब सभी तकनीकी वचनबद्धता पूरी हो गई हो एवं पूर्ण भुगतान प्राप्त हो गया हो।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट को तकनीकी और वित्तीय रूप से बन्द करने की स्पष्ट नीति होने की व्याख्या नहीं है जिससे पूरे हुए प्रोजेक्ट के तहत अनियमित व्यय की बुकिंग से बचा जाए।

नमूना जांच में परीक्षण किये गये कुछ प्रोजेक्ट्स में हमारी खोजों ने यह खुलासा किया कि प्रोजेक्ट की समाप्ति से सम्बन्धित नीति की कमी के कारण, प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद भी गलत बुकिंग और अतिरिक्त व्यय किया गया। यह अग्रलिखित पैराग्राफों में दर्शाया गया है।

(iv) स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट की समाप्ति के बाद अनियमित व्यय**(क) हैन्ड हैल्ड डाटा कम्प्यूटर पर प्रोजेक्ट**

समीर ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (भा मौ वि वि) के साथ ₹31.80 लाख मूल्य पर 60 हैन्ड हैल्ड डाटा कम्प्यूटर की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन किया। मार्च 2008 तक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को उपकरण सौंपा गया और ₹31.80 लाख का सम्पूर्ण भुगतान भी मार्च 2008 तक प्राप्त किया गया। हमने पाया कि (नवम्बर 2012) इस प्रोजेक्ट पर मार्च 2008 में उपकरण की आपूर्ति के बाद भी ₹16.75 लाख का व्यय किया गया।

समीर ने (दिसम्बर 2012) कहा कि 2008-2011 के दौरान किये गये खर्चे वेतन व्यय व अतिरिक्त उपयोग में आने वाले सामान के लिए थे, जिन्हें समीर और मौसम विभाग के समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत प्रोजेक्ट के अनुसंधान व विकास कार्य के लिए उपयोग किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह प्रोजेक्ट अपने आप में एक स्वतंत्र प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट पर किये गये आय/व्यय का लेखांकन अलग से होना चाहिये। अतएव समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत प्रोजेक्ट की तकनीकी व वित्तीय समाप्ति अन्य प्रोजेक्ट्स से मुक्त होनी चाहिए।

(ख) अग्नि नियंत्रक यंत्र के एक सेट की रचना, विकास एंव आपूर्ति पर प्रोजेक्ट

मशीन टूल्स प्रोटोटाइप फैक्ट्री ने मार्च 2006 में एक सेट अग्नि नियंत्रक यंत्र से सम्बन्धित कवच एम ओ डी II के लिये उप-यंत्र की डिजाईन विकास व आपूर्ति के लिए ₹1.17 करोड़ के मूल्य का ऑर्डर दिया। समीर ने अप्रैल 2007 में निर्धारित तिथि में वस्तु की आपूर्ति की। हमने पाया कि (नवम्बर 2011) ₹1.17 करोड़ की प्राप्ति के विरुद्ध समीर ने ₹1.57 करोड़ व्यय किये परिणामस्वरूप ₹40 लाख का अधिक व्यय हुआ।

समीर ने कहा (जनवरी 2012) कि व्यय में अतंर अन्य प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के वेतन के कारण था जो नवम्बर 2011 तक गलती से इस प्रोजेक्ट में दर्ज हो गया था। आगे यह बताया कि यह व्यय सम्बन्धित प्रोजेक्ट में दर्ज किया जायेगा।

प्रबंधन के उत्तर से प्रोजेक्ट की समाप्ति के बाद भी खराब लेखांकन व व्यय की गलत बुकिंग सुनिश्चित हुई।

(ग) 10 वेरिएबल अल्टीट्यूड स्विच आपूर्ति के लिये प्रोजेक्ट

रिसर्च सेंटर इमारत (आर एम आई) हैदराबाद ने समीर को ₹85.00 लाख मूल्य का 10 वेरिएबल अल्टीट्यूड स्विच आपूर्ति का आर्डर दिया (नवम्बर 2005)। आपूर्ति 30 अप्रैल 2006 तक पूरी की

जानी थी और समीर ने सभी 10 इकाईयां मार्च 2007 तक आर एम आई को पहुंचा दी। समीर ने आर एम आई से ₹85 लाख प्राप्त किये परन्तु ₹45 लाख का व्यय किया और शेष ₹40 लाख मार्च 2011 तक इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत पड़ा हुआ था। हमने आगे देखा कि (नवम्बर 2012) वर्ष 2011-12 के दौरान सविंदा कर्मियों के वेतनों, उपभोगी वस्तुओं, यात्रा व अन्य विविध खर्चों में ₹21.23 लाख व्यय हुए जबकि सभी 10 इकाईयाँ मार्च 2007 तक आर एम आई को पहुंचा दी गयी थीं। यह संकेत करता है कि प्रोजेक्ट को इसकी समाप्ति के बाद भी बन्द नहीं किया गया।

समीर ने कहा कि (जनवरी 2012) मिसाइल में वास्तविक उड़ान परीक्षण लम्बित था, यद्यपि समीर की प्रतिबद्धता पूर्ण थी। यहाँ पर पाया गया कि समीर ने अभी तक प्रोजेक्ट को बन्द नहीं किया था।

(घ) रडार अल्टीमीटर की डिजाइन व विकास के लिये प्रोजेक्ट

उड्डयन विकास संस्थापन (ए डी ई) ने (जून 2007) में रडार अल्टीमीटर के विकास के लिये ₹1.65 करोड़ लागत का प्रोजेक्ट अनुमोदित किया। उत्पाद अप्रैल 2010 में ए डी ई को प्रदान किया गया और समीर ने ₹35.25 लाख का व्यय किया। इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत ₹1.30 करोड़ की बचत हुई और प्रोजेक्ट बन्द नहीं किया गया (मार्च 2011)।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2013) कि इस प्रोजेक्ट में, समीर की भागीदारी एक अनवरत प्रक्रिया है और सामान्य रूप से यह आपूर्ति पूरी होने के बाद और बढ़ जाती है। आगे, वास्तविक वायुयानों में पर्यावरण जांचें, ई एम सी परीक्षण, क्षेत्र मूल्यांकन, उपयोगकर्त्ता के आबाध अधिकार हैं। ये सभी जांचे प्रोजेक्ट लागत मूल्यांकन के समय पूर्ण रूप से समाप्ति की जाती हैं।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसमें पर्यावरण परीक्षण, ई एम सी परीक्षण, क्षेत्र मूल्यांकन आदि को पूरा करने के निर्धारित समय को करार में समिलित न करने के कारण नहीं दिये गये।

(व) प्रायोजित करने वाली एजेन्सियों से देयकों की वसूली न करना

समीर ने आठ प्रायोजित प्रोजेक्ट्स की ओर से ₹1.81 करोड़ वसूल नहीं किये। जैसा कि नीचे तालिका-7 में दिया गया है।

तालिका-7

क्रम सं.	प्रोजेक्ट का नाम	प्रायोजक का नाम	पूर्ण होने का माह/वर्ष	सितम्बर 2012 तक बकाया धन (रुकरोड़ में)
1	15 मेव मेडिकल लीनेक	डी ओ ई	मार्च 2006	0.03
2	डिजाइन एंव डेवलपमेन्ट ऑफ हाई पावर कम्पोनेंट्स फॉर आर एफ एक्सीलीरेटर	डी ए ई	मार्च 2007	0.14
3	के ए बैण्ड एकिटव रडार सीकर	डी आर डी ओ	फरवरी 2009	0.73
4	पॉली ऑटीकल वेव गाइड	डी एस टी	सितम्बर 2010	0.06
5	हाईट सेंसिंग डिवाइस	डी आर डी एल	जनवरी 2011	0.07
6	डेवलपमेन्ट ऑफ रेडियोथियोडोलाइट	आई एम डी	मार्च 2011	0.38
7	लीनेक ट्यूब फॉर 4 मेव-ए एस एल	ए एस एल	मार्च 2011	0.12
8	6 मेव लीनियर एक्सीलेरेटर	एच ई एम आर एल	नवम्बर 2011	0.28
	कुल			1.81

यह प्रमाण था कि अधिकतम प्रोजेक्ट एक से छ: साल पहले पूरे हो गये थे परन्तु प्रायोजित करने वाले संगठनों/विभागों से शेष धन वसूला जाना (सितम्बर 2012) बाकी था।

इसे बताने पर (नवम्बर 2012), यह कहा गया (फरवरी 2013) कि हाईट सेंसिंग डिवाइस से सम्बन्धित प्रोजेक्ट के बारे में, जनवरी 2012 में ₹7.00 लाख की राशि वसूल की गयी थी और इसी प्रकार डेवलपमेन्ट ऑफ रेडियोथियोडोलाइट से सम्बन्धित प्रोजेक्ट में ₹21.79 लाख की आंशिक राशि अप्रैल 2012 में प्राप्त की गयी। आगे यह कहा गया कि बकाया धन सरकारी विभागों से संबंधित था और वसूली प्रक्रिया जारी थी।

बकाया धन को समय पर संग्रहीत हो इसके लिये समीर को अपनी मॉनीटरिंग एंव राजस्व वसूली प्रक्रिया को मजबूत करने की जरूरत है।

4.2.5.6 कोर प्रोजेक्ट्स

कोर प्रोजेक्ट्स वे प्रोजेक्ट्स हैं जो समीर द्वारा डी ई आई टी वाई से प्राप्त कोष से क्रियान्वित किए जाते हैं। समीर द्वारा प्रारम्भ किए गए ये प्रोजेक्ट्स इसके क्षेत्रीय ज्ञान व कार्य कुशलता से सम्बन्धित नयी तकनीकों पर आधारित हैं। हमने देखा कि (नवम्बर 2012) समीर के पास पिछले

वर्षों के दौरान इसके द्वारा लिए गये सभी कोर प्रोजेक्ट्स के समग्र आंकड़े नहीं थे जैसा कि नीचे दिया गया है।

कोर प्रोजेक्ट्स के अपर्याप्त प्रलेखन

प्रोजेक्ट के कुशल प्रबंधन, देखरेख व पुनरीक्षण के लिए प्रोजेक्ट प्रस्ताव, प्रगति रिपोर्ट, पूर्णता रिपोर्ट व प्रोजेक्ट मूल्यांकन रिपोर्ट सहित संपूर्ण प्रोजेक्ट प्रलेखन का रखरखाव अति आवश्यक है। हमने देखा कि (नवम्बर 2012) समीर ने आंतरिक/कोर प्रोजेक्ट्स के संदर्भ में सही प्रलेखन नहीं रखा। इस प्रकार पूरी प्रक्रिया को बाद के पुनरीक्षणों के लिए बगैर जवाबदेही के छोड़ दिया गया। आगे यह देखा गया कि कोर प्रोजेक्ट्स से सम्बन्धित प्रस्ताव, अनुमोदन और फाइलें रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थे। इसके अतिरिक्त, कोर प्रोजेक्ट्स पर स्वीकृत व किये गये खर्च की देखरेख नहीं हुई और प्रोजेक्ट के अनुसार बजट का रखरखाव नहीं हुआ।

यह बताये जाने पर (नवम्बर 2012), मंत्रालय ने कहा कि (फरवरी 2013) भविष्य में कोर प्रोजेक्ट्स की प्रोजेक्ट फाइलें, अनुसंधान सलाहकार कमेटी का अनुमोदन, उपलब्धियाँ और प्रोजेक्ट से सम्बन्धित अन्य प्रलेख उपलब्ध कराये जाएँगे। वर्ष 2012-13 से प्रारम्भ होने वाले नये कोर प्रोजेक्ट्स के कोर/आंतरिक प्रोजेक्ट्स के प्रलेखन को सुधारने के लिए भी कार्यवाही शुरू की जायेगी। यह भी कहा गया कि समीर को आर व डी प्रोजेक्ट्स के लिए स्टॉफ की कमी से जूझना पड़ा।

यद्यपि समीर ने कोर प्रोजेक्ट्स से सम्बन्धित रिकॉर्ड्स के रखरखाव को सुधारने के लिए आश्वासन दिया है, इसके क्रियान्वयन के लिए विशेष दिशानिर्देश प्रतीक्षित थे (फरवरी 2013)।

4.2.5.7 बौद्धिक सम्पदा अधिकार

विज्ञान व तकनीकी मंत्रालय ने अनुसंधान प्रोजेक्ट्स को क्रियान्वित करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं जिसके अनुसार आर एंड डी उद्देश्य के लिए अनुदान चाहने वाले संस्थानों के लिए उनके विषयों पर अनुसंधान के परिणामों (पेटेंट, पंजीकृत डिजाइन, प्रतिलिप्याधिकार और एकीकृत परिपथ की रूपरेखा) के बौद्धिक सम्पदा अधिकार की सुरक्षा लेना आवश्यक है। इसे बढ़ाने के लिए, एक पृथक पेटेंट कोष चलाया जाता है जो बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्राप्त करने के लिए लागत उपलब्ध कराता है।

हमने देखा कि (नवम्बर 2012) समीर में, ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया और पिछले पाँच वर्षों के दौरान केवल तीन पेटेंट प्राप्त किये गये एंव तकनीकी के स्थानांतरण का केवल एक मामला था। यद्यपि इसमें कई वैज्ञानिक आर व डी क्रियाकलापों में संलग्न थे जिस पर पिछले पाँच वर्षों के दौरान ₹200 करोड़ से अधिक व्यय हुए। यह समीर द्वारा किये गये आर व डी परिणाम की खराब गुणवत्ता को दर्शाता है। अतः बौद्धिक सम्पदा पर समीर की एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए।

मंत्रालय ने बताया कि (फरवरी 2013) समीर सामरिक क्षेत्रों में काम कर रहा था और रक्षा, अंतरिक्ष और आणविक ऊर्जा प्रयोगशालाओं के प्रोजेक्ट्स को कार्यान्वित कर रहा था और इन प्रोजेक्ट में किया गया कार्य वृहद रूप से प्रचारित नहीं हो सका। इसके ध्यान में रखते हुए, संस्थान में किये गये सामरिक कार्य के लिए पेटेट दर्ज नहीं किये गये। इसके अतिरिक्त, पेटेंट दर्ज करना बहुत विस्तृत व लम्बी प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक प्रलेखन की आवश्यकता है और बहुत अधिक तकनीकी कार्यभार और मानव शक्ति की कमी के कारण पेटेंट दर्ज कराने में विलम्ब होता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समीर का विधान पत्र देश व विदेश में आवश्यकताओं को जानने के लिए किए गये अनुसंधान व विकास परिणामों का वाणिज्यीकरण व प्रसरण में प्रभावी मापदण्डों को अपनाने की सुविधा प्रदान करता है। अतएव समीर को बौद्धिक सम्पदा के सम्बन्ध में स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता है। इसके अनुसंधान व विकास के प्रयास के परिणामस्वरूप पेटेंट प्राप्त करने, टी ओ टी और तकनीकी के वाणिज्यीकरण में भी अच्छे परिणाम दिखने चाहिए।

तकनीकी का स्थानान्तरण (टी ओ टी)

मार्च 2008 में अनुसंधान सलाहकार कमेटी ने दोहराया कि प्रोजेक्ट्स नवीनतम तकनीकों पर आधारित होनी चाहिए, जिससे इसे चाहने वाले आसानी से आगे आ सकें।

हमने देखा कि (नवम्बर 2012) तकनीकी स्थानान्तरण के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं बनाये गये और इस प्रकार समीर तकनीकी स्थानान्तरण के लिए कोई नीति तैयार नहीं कर सका। पिछले पांच वर्षों के दौरान समीर केवल एक मामले में तकनीक स्थानान्तरण में समर्थ हुआ। इस तरह, जिन कम्पनियों ने तकनीक को खरीदा था उन्होंने भी इसे वाणिज्यिक रूप से प्रयोग नहीं किया।

मंत्रालय ने कहा है कि (फरवरी 2013) समीर द्वारा विकसित किया गया उत्पाद अथवा तकनीक में बहुअनुशासित मिश्रित तकनीकी समझ वाली मांग थी। साथ ही प्रत्येक बनाये गये उत्पाद का वाणिज्यिक प्रयोग भी नहीं किया जा सकता क्योंकि आवश्यक इकाईयों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। यद्यपि, टी ओ टी के मामले में अनुसरण किए जाने वाले दिशा निर्देश देने और उत्पादों की पहचान करने के लिए समीर ने कमेटी बनाने की पहल की है (फरवरी 2013)।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समीर द्वारा विकसित तकनीकों के वाणिज्यिकरण की देखभाल के लिए कोई भी ठोस दीर्घ कालीन प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

निष्कर्ष

माइक्रोवेव अभियांत्रिकी और विद्युत चुम्बकीय अभियांत्रिकी तकनीकी के साथ इनके विशेषज्ञता के क्षेत्रों में आर व डी क्रियाकलापों को करने, तकनीक तथा उपयोग कर्त्ता की आवश्यकताओं से प्रेरित

उत्पाद के विकास में संलग्न होने, उद्योगों में परीक्षण व मापन सेवाएं और तकनीक स्थानान्तरण की प्रगति, खोज व विकास को प्रोत्साहित करने लिए समीर का गठन किया गया था।

समीर द्वारा लिए गये प्रोजेक्ट्स में हमारी जांच में पाया कि कमजोर वित्तीय प्रबंधन, प्रोजेक्ट दिशा निर्देशों के अनिरूपण, केन्द्रीकृत प्रोजेक्ट क्रियान्वयन और देखरेख की कमी, लागत व मूल्यों की कमियों के अतिरिक्त बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर सुपरिभाषित नीतियां की कमी, तकनीकी स्थानान्तरण और पेटेंट अधिकारों में कमी, का खुलासा किया। इसके अतिरिक्त पिछले पांच वर्षों में ₹200 करोड़ से अधिक व्यय करने के बाद भी समीर केवल तीन पेटेंट और एक तकनीक स्थानान्तरण मामला प्राप्त करने में समर्थ हुआ जो इसके आर व डी परिणामों की खराब गुणवत्ता को दर्शाता है।

अनुशंसाएं

- समीर को प्रोजेक्ट के क्रियाकलाप और तकनीक स्थानान्तरण निर्दिष्ट नियम-नियमावली के तहत हो यह सुनिश्चित करने के लिए समीर दिशानिर्देश बनाना चाहिये।
- समीर को अनुमोदित लागत के अन्दर प्रोजेक्टों के समय से समाप्ति के लिए अपने प्रोजेक्ट मूल्यांकन पद्धति को सशक्त करना चाहिये।
- समीर को अपने वित्तीय प्रबंधन पद्धति को सशक्त करना चाहिये जिससे पूंजी के व्हाव और उसका सदुपयोग, क्रियान्वयन का मापन अनुपात में हो।
- समीर को अपने अधीन लिये विभिन्न प्रोजेक्टों के पूर्ण नियंत्रण के लिए एक केन्द्रीयकृत प्रोजेक्ट निरीक्षण पद्धति का क्रियान्वयन करना चाहिये।
- समीर यह सुनिश्चित करे कि एक ऐसी पद्धति हो जिससे प्रोजेक्ट की तकनीकी व वित्तीय समाप्ति के बाद उस प्रोजेक्ट के विरुद्ध कोई खर्च बुक नहीं किया जा सके।